न्यायालय जिला कलक्टर, डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी– डॉ. महेन्द्र खड़गावत, आई.ए.एस.

अपील संख्या– 50/2025
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2025/124

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
रामनिवास पुत्र मांगूनाथ, जाति नाथ, निवासी मंगलाना, तहसील परबतसर।		1. तहसीलदार परबतसर। 2. पटवार हल्का मंगलाना।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम
अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार परबतसर दिनांक 20.06.2025 प्रकरण संख्या 23/2025 बअनुवान राज्य सरकार जरिये पटवारी हल्का मंगलाना बनाम रामनिवास अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में अपीलार्थी को बेदखल के आदेश पारित किया।

–:निर्णय:–

दिनांक : 17.09.2025

अपीलांट की ओर से पेश अपील के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि:–

1. पटवारी हल्का मंगलाना द्वारा दिनांक 09.06.2025 इस आशय की रिपोर्ट पेश की हैं कि ग्राम मंगलाना तहसील परबतसर के खसरा नम्बर 95 रकबा 0.2428 हैक्टेयर किस्म गै.मु. ओरण में से 0.12 हैक्टेयर पर अप्रार्थी/अपीलार्थी रामनिवास ने पत्थर (कातला) लगाकर अतिक्रमण किया हैं। अतः अतिक्रमी के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को प्रकरण में जवाब हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी/पटवारी हल्का मंगलाना ने न्यायालय में प्रस्तुत टी.पी रिपोर्ट सही होना तथा ग्राम मंगलाना के खसरा नम्बर 95 किस्म गै.मु. औरण की भूमि पर अप्रार्थी का अतिक्रमण किये जाने का कथन किया तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज उक्त प्रकरण को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के विरूद्ध जुर्माना अधिरोपित तथा भैतिक बेदखली के आदेश पारित किये गये जाने का जिक्र किया।

   प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजों व अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य पटवारी हल्का मंगलाना द्वारा टी.पी. रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी को ग्राम मंगलाना के खसरा नम्बर 95 रकबा 0.2428 हैक्टेयर गै.मु. ओरण में से 0.12 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाना तथा प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियू 1956 की धारा 91 के तहत स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार परबतसर द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की सपठित धाराओं के अन्तर्गत अप्रार्थी/अपीलार्थी रामनिवास की खसरा नम्बर 95 रकबा 0.2428 हैक्टेयर गै.मु. ओरण की भूमि में से 0.12 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमी घोषित कर शरहद लगान का 50 गुना 61 रुपये का जुर्माना अधिरोपित कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2025.11.28 17:49:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
डीडवाना–कुचामन

अप्रार्थी/अपीलार्थी को मौके से भौतिक रूप से बेदखली के आदेश दिये। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी निम्न आधार पर यह अपील पेश कर रहा है:–

–: अपील के आधार :–

1. ग्राम मंगलाना, पटवार हल्का मंगलाना तहसील जिला डीडवाना–कुचामन ने अपीलार्थी की सहखातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 92 रकबा 0.2671 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 98 रकबा 0.4856 हैक्टेयर स्थित हैं, जिसमें अपीलार्थी का 1/4 हिस्सा आया हैं जो राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। अपीलार्थी ने एक राजस्व वाद/स्टे प्रार्थना पत्र भी उपखण्ड अधिकारी, परबतसर के न्यायालय में पेश कर रखा है। जिसमें उपखण्ड अधिकारी ने राजस्व रेकर्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखने, रहने व बैचान नहीं करने का स्टे आदेश भी जारी कर रखा है। अप्रार्थी की सह खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 92 के पूर्व दिशा में खसरा नम्बर 95 की भूमि आई हुई है। अप्रार्थी ने अपने हिस्से की भूमि में आवारा पशु नहीं आ सके, इसलिए अपने पुरानी मांठ के उपर तारबन्दी व कातले लगाये थे। जिससे अपीलार्थी की फसल को कोई नुकसान नही पहुंचा सके। अपीलार्थी की सह खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 92 का कभी कोई सीमाज्ञान नहीं हुआ हैं तथा खसरा नम्बर 95 का भी कोई सीमाज्ञान नहीं किया गया हैं हल्का पटवारी मंगलाना ने श्रीमान् के समक्ष बिना सीमाज्ञान किये अपीलार्थी को अतिक्रमी मानते हुए गलत रिपोर्ट पेश की है, जब अपीलार्थी की भूमि का सीमाज्ञान ही नहीं हो रखा है तो अपीलार्थी की भूमि कहा तक आई हुई हैं, यह बताना सम्भव नहीं है तथा हल्का पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक मंगलाना की रिपोर्ट पर ग्रामवासियों के भी हस्ताक्षर नहीं हैं, हल्का पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक ने बिना नाप चौक किये अपीलार्थी को अतिक्रमी मानते हुए रिपोर्ट पेश की हैं, जबकि खसरा नम्बर 92 की पुरानी सींव आई हुई हैं, जिस पर अपीलार्थी ने फसल का समय होने से आवारा पशुओं को रोकने के लिए पारबन्दी व कातले लगाये हैं, अपीलार्थी ने किसी तरह को कोई अतिक्रमण खसरा नम्बर 95 की भूमि में नहीं किया है।
2. अपीलार्थी द्वारा तहसीलदार परबतसर के समक्ष उक्त तथ्य पेश करने के बावजुद एक नोटिस दिनांकित 13.06.2025 को अतिक्रमण हटाने हेतु दिया गया है। जिससे अपीलार्थी अजहद नुकसान होगा, जिसकी क्षतिपूर्ति नगदी से सम्भव नहीं होगी।
3. उक्त रिपोर्ट में पटवारी हल्का मंगलाना के कोई बयान नहीं करवाये गये हैं। इस तथ्य की ओर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया हैं। अतः योग्य अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण संख्या 23/2025 बअनवान राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का मंगलाना बनाम रामनिवास में पारित निर्णय अपास्त किये जाने को आदेश पारित किया जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2025.11.28 17:49:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन
सत्यमेव जयते

तहसीलदार, परबतसर के पत्रांक 156 दिंनाक 21.07.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी ने ग्राम मंगलाना के खसरा नम्बर 95 किस्म गै.मु. ओरण पर अपीलान्ट द्वारा मौके पर अतिक्रमण पाये जाने पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए अपीलार्थी को बेदखल किया गया है। उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही विधिसम्मत् की गई है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। अपीलार्थी ने ग्राम मंगलाना के खसरा नम्बर 95 किस्म गै.मु. ओरण पर अपीलान्ट द्वारा मौके पर अतिक्रमण पाये जाने पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए अपीलार्थी को बेदखल किया गया है। उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही विधिसम्मत् की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 17.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

17.09.25

(डॉ. महेन्द्र खड़गावत, IAS)
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2025.11.28 17:49:52 IST
Reason: SelfAttested